औरंगाबाद महानगरपालिका,औरंगाबाद
म.न.पा.क्षयरोग नियंत्रण समिती,औरंगाबाद

शहर क्षयरोग केंद्र, डेटा सेंटर, औरंगपुरा औरंगाबाद,दुरध्वनी ०२४०-२३५६७७३ ई.मेल.dtomhabm@rntcp.org

जा.क्र./मनपा/आरोग्य/ ८८७ /२०१९ दिनांक :- २६ .०३.२०१९

जाहीर आवाहन

भारतामध्ये इतर आजारा पेक्षा क्षयरोग हा सर्वाधिक संख्येने बळी घेणारा व झपाटयाने पसरणारा रोग आहे. क्षयरोगाने बळी पडणा-यामध्ये सर्वाधिक कार्यक्षम असलेला **वयोगट १५ ते ४५ वर्ष** असल्यामुळे भारत देशापुढे गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तसेच उशीरा निदान व अपूर्ण उपचारामुळे क्षयरोगाचा प्रसार थांबविणे अवघड असून, औषधोपचारांना दाद न देणारा **MDR TB** हा आजार तयार होत आहे. तो सोडविण्यासाठी क्षयरोगाचे रुग्ण लवकरात लवकर ओळखुन त्यांचा संपूर्ण उपचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तेव्हांच आपण भारत देशातून TB हद्दपार करु शकतो **(TB Free India).**

या कारणासाठी भारत सरकारने क्षयरोगास गंभीर धोकादायक यादीमध्ये घेवून भारत राजपत्र फा.सं.जेड-२८०१५/२/२०१२-टी.बी. १९ मार्च २०१८ नुसार **"अधिसुचित" (Notification)** केले आहे की, सर्व आरोग्य सेवा पुरविणा-या संस्थांनी (उदा.दवाखाने, खाजगी रुग्णालये, सर्व खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक कुठल्याही वैद्यकीय शाखेचे जसे की ॲलोपॅथी / आर्युवेदीक / होमीयोपॅथी / आयुष व इतर, शासकीय व अशासकीय संस्था, सर्व प्रयोगशाळा व खाजगी औषध विक्रेते, इत्यादी), प्रत्येक निदान झालेल्या क्षय (TB) रुग्णाची माहिती / नोंदणी ही स्थानिक शासकीय आरोग्य सेवा विभाग / केंद्र येथे नोंदविणे बंधनकारक आहे. (उदा. आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य विभाग मनपा,औरंगाबाद / शहर क्षयरोग अधिकारी, शहर क्षयरोग केंद्र, मनपा,औरंगाबाद).

भारत सरकारच्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महानगरपालिका, औरंगाबाद या वर नमूद केलेल्या सर्व संस्थाना आवाहन करीत आहेत की, औरंगाबाद शहरातील सर्व TB रुग्णांची माहिती त्यांनी शहर क्षयरोग केंद्र, महानगरपालिका औरंगाबाद च्या ई-मेल. **dtomhabm@rntcp.org** वर a Jeet संस्थेच्या प्रतिनिधीकडे खालील तक्त्यात भरुन न चुकता दर महिन्याला सादर करावी. ज्या आरोग्य संस्था क्षयरोगाचे निदान झालेल्या रुग्णांची माहिती नोंदविणार नाहीत त्यांच्या विरोधात भारत राजपत्र फा.सं.जेड-२८०१५/२/२०१२-टी.बी. १९ मार्च २०१८ मध्ये नमूद भारतीय दंड संहिता (१८६० चे ४५) ची धारा क्र.२६९ a २७० नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

Sr. No.	Name of TB Patient ID of Patient	Age (Yrs)	Sex (MIFIO)	GOI Issued identification number (Aadhaar, etc), if available	Complete residential Address	Patient Phone Number	Date of TB Diagnosis	Date of TB Treatment Initiation

आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी
महानगरपालिका,औरंगाबाद

आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी
महानगरपालिका औरंगाबाद

नोट :- खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना याबाबत काही अडचण असल्यास मनपाच्या www.aurangabadmahapalika.com या संकेत स्थळावर याबाबतची प्रश्नावली व भारतीय राजपत्र प्रसिध्द केलेले आहे.

Gazette Notification on Tuberculosis

Ques. What is the Gazette Notification on Tuberculosis about ?*
ns. The latest gazette notification dated 19th March, 2018 by Ministry of Health & Family Welfare, Govt of India is to ensure proper tuberculosis diagnosis and its management in patients and their contacts nd to reduce tuberculosis transmission and further to address the problems of emergence and spread of rug resistant-Tuberculosis.

Ques. What does the said notification want from Doctors ?*
ns. Through the notification, the govt of India wants to collect complete information of all tuberculosis patients rom Doctors and Chemists.

Ques. To whom is it applicable / who has to notify a case of Tuberculosis ?*
ns. Every clinical establishment as defined under the Clinical Establishment Act, 2010 (C.E.A.). In short, very Doctor of any pathy of medicine (allopathy/AYUSH), Laboratory and Chemist running a Pharmacy.

Ques. Is the notification applicable to the entire country I all States ?*
ns. Yes.

Ques. Which type of patients have to be notified ?*
ns. All patients who are diagnosed to be suffering from Tuberculosis or initiated on anti-tubercular drugs, hether by clinical, microbiological or radiological diagnosis.

Ques. Do I have to notify all cases of Tuberculosis- whether diagnosed by me or by anyone else ?*
10 I have to notify all cases of Tuberculosis- whether on treatment from me or on treatment by anyone else ?*
10 I have to notify cases of Tuberculosis who are already on treatment ?*
ns. Yes.

Ques. Can a patient self-notify ?*
ns. Yes. The patients are encouraged to self-notify themselves as well as the details of their treating iysicians to the govt of India.

Ques. How and where do I notify ?*
ns. Can be reported electronically at the website- https://nikshay.gov.in through Annexure-II for Doctors. nnexure-I is for medical laboratories, Annexure-III is for Chemists) Or, by hard copy to District Health Officer Chief Medical Officer of a District and Municipal Health Officer of urban local bodies.
ou should receive a SMS on completing the process of online reporting.
ou need a govt-issued I.D. of the patient (mandatory) for the reporting process.

Ques. What happens if I fail to notify ?*

ns. One could be liable for committing an offence under Section 269 and Section 270 of the Indian Penal Coc
ection 269 IPC- Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life- Whoever unlawfully or legligently does any act which is, and which he knows or has reason to believe to be, likely to spread the nfection of any disease dangerous to life, shall be punished with imprisonment of either description for a term vhich may extend to six months, or with fine, or with both.

ection 270 IPC- Malignant act likely to spread infection of disease dangerous to life- Whoever malignantly doe ny act which is, and which he knows or has reason to believe to be, likely to spread the infection of any disea langerous to life, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to twc ears, or with fine, or with both.

Ques. What happens after such notification to the government ?*

ns. The information on tuberculosis notification received by Public Health Staff, shall be used only for extendi ne care and support, take appropriate public health action; including financial and non-financial incentives to atients, like free drugs and diagnostics, screening for co-morbidities, drug susceptibility testing, information chnology based treatment adherence support system for improving quality care, etc., and providing feedback o the respective treating medical practitioner: provided that the confidentiality of the individual identity of the uberculosis patients shall be maintained.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004199

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2018/फाल्गुन 28, 1939
No. 82] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2018/PHALGUNA 28,1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2018

फा. सं. जेड-28015/2/2012-टी.बी.—जबकि, केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि क्षयरोग एक खतरनाक महामारी, जीवन के लिए घातक है और यह जनस्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है जो देश में अत्यधिक रूग्णता और मौतों के लिए उत्तरदायी है। क्षय रोग का शीघ्र निदान और पूर्ण उपचार करना क्षय रोग निवारण और नियंत्रण

कार्यनीति का प्रमुख आधार है। इसके अतिरिक्त क्षय रोग रोधी का अनुप्रयुक्त निदान और अनियमित अथवा अपूर्ण उपचार से जटिलताएं हो सकती है, रोग फैल सकता है और औषध प्रतिरोधि क्षय रोग विकसित हो सकता है।

2. जबकि रोगियों और उनके जानकारों में उपर्युक्त क्षय रोग निदान और इसका प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा क्षय रोग संचरण की रोकथाम करने एवं औषध प्रतिरोधी क्षय रोग के फैलाव और विकास की समस्या पर ध्यान देने के लिए यह अनिवार्य है कि सभी क्षय रोगियों के बारे में सारी सूचना एकत्र की जाए।

3. अत: अब क्षय रोग को नियंत्रण करने और इसकी रोकथाम के लिए जन स्वास्थ्य के हित में केंद्र सरकार निम्नलिखित उपाय विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात :-

(1) स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायक, जो अब से नैदानिक प्रतिष्ठान कहलाएंगे, प्रत्येक क्षय रोगी के बारे में स्थानीय लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी अर्थात जिला स्वास्थ्य अधिकारी अथवा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और शहरी स्थानीय निकायों के नगर स्वास्थ्य अधिकारी, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए; अथवा अपने नामोद्दिष्ट जिला क्षय रोग अधिकारियों को निम्न में यथाविनिर्दिष्ट प्रपत्र में सूचना प्रदान करेंगे :

(i) चिकित्सा प्रयोगशालाओं द्वारा **अनुलग्नक-I;**

(ii) चिकित्सकों द्वारा **अनुलग्नक-II**

(2) क्षयरोग रोधी दवाइयां देने वाले सभी फार्मेसी, केमिस्ट और औषध विक्रेता **अनुलग्नक- III** के अनुसार संबद्ध क्षय रोगियों और दवाइयों के ब्यौरे के बारे में सूचना देंगे, तथा नुस्खापर्ची की एक प्रति रखें, **अनुलग्नक-IV**, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची एच1 के अनुसार उपचार करने वाले प्रैक्टिशनर और उसे या तो इलेक्ट्रोनिक रूप में अथवा हार्ड प्रति में जिले के नोडल अधिकारी अथवा नोडल अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) मरीज के महत्व पर विचार करते हुए क्षय रोग के सभी मरीजों के पूर्ण एवं समुचित उपचार हेतु उनके द्वारा स्वयं के तथा उपचार करने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनरों के ब्यौरे के साथ स्वयं को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक सहायता को प्रोत्साहन किया जाता है।

4 **परिभाषाएं** : इस अधिसूचना के प्रयोजन से जब तक कि संदर्भ अपेक्षित न हो, अभिव्यक्तियां—

उपचार प्रक्रिया का पालन करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सहायता प्रणाली इत्यादि जैसे वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है; तथा उपचार करने वाले संबंधित चिकित्सा प्रेक्टशिनर को फीडबैक प्रदान करने के लिए ही किया जाएगा: बशर्ते कि क्षयरोग से पीडित की निजी पहचान को गुप्त रखा जाए।

8. फार्मेसी, केमिस्टों और दवा विक्रेताओं द्वारा सूचित क्षय रोगियों, स्वयं द्वारा सूचित रोगियों से संपर्क किया जाए तथा जन स्वास्थ्य प्राधिकरण अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जांच की जाए।

9. चिकित्सा प्रयोगशाला, केमिस्टों, सूचित क्षय रोगियों और स्वयं द्वारा सूचित क्षय रोगियों के संबंध के, जन स्वास्थ्य प्रणाली का स्टॉफ सूचना पूरी करने के लिए सूचना एकत्रित करेगा जिसमें निदान का आधार, रोग-स्थल, क्षय-रोधी उपचार की पृष्ठ भूमि तथा क्षयरोग के प्रकार का वर्गीकरण शामिल है।

10. ये उपाय दिनांक 7 मई, 2012 के आदेश फा.सं. जेड-28015/2/2012-टीबी द्वारा जारी पिछले उपायों तथा इसके दिनांक 23 जुलाई, 2015 के संशोधनों से अभिभावी होंगे।

11. यदि क्लिनिकल संस्था, फार्मेसी, कैमिस्ट और दवा-विक्रेता किसी क्षय रोगी को ऊपर पैरा में बताए अनुसार नोडल के पास अधिसूचित नहीं करता है और ग्रामीण या शहरी स्थानिक निकायों के सामान्य स्वास्थ्य तंत्र के स्थानीय जन-स्वास्थ्य कर्मचारी ऊपर पैरा 5 के अनुसार क्षय रोगी की अधिसूचना मिलने पर उपयुक्त जन-स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई नहीं करता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) को धाराओं 269 और 270 के उपबंधों के तहत कार्रवाई हो सकती है, ये धाराएं निम्नानुसार हैं:

"269. लापरवाहीपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए खतरनाक रोग के संक्रमण की संभावना हो—जो भी गैर-कानूनी रूप से या लापरवाही पूर्ण ढंग से ऐसा कोई कार्य करता है जिससे और, जिसे वह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि इससे जीवन के लिए किसी खतरनाक रोग का संक्रमण फैलने की संभावना है, तो उसे या तो एक कथित अवधि, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।"

270. परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए खतरनाक रोग के संक्रमण की संभावना हो—जो भी द्वेषपूर्ण ढंग से ऐसा कोई कार्य करता है जिससे, और जिसे वह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि इससे जीवन के लिए किसी खतरनाक रोग का संक्रमण फैलने की संभावना है, तो उसे या तो एक कथित अवधि जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।"

अरूण कुमार झा, आर्थिक सलाहकार